

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024**

IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION- SUO MOTU
BASED ON NEWS ITEM TITLED "22 SAAL SE BAND COMPANY MEIN
KAAT DIYE 1 HAZAAR SE JYADA PED NOIDA MEIN VAN VIBHAG NE
JABT KIYA KATE PEDO SE BHARA TRUCK" APPEARING IN
NAVBHARAT TIMES DATED 11.06.2024

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENTS NO 1, 2 AND 4	
2.	A COPY OF THE CASE REGISTERED HAVING CASE NO. 16/2024-25 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R1.	
3.	A COPY OF NOTICES ISSUED AGAINST THE ACCUSED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R2.	
4.	A COPY OF THE CASE REGISTERED HAVING CASE NO. 16/2024-25 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R3.	
5.	A COPY OF LETTER NO. 7133/2-1 DATED 11.06.2024 AND LETTER NO. 7365/2-1 DATED 26.06.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R4 (COLLY).	



	A COPY OF LETTER NO. 1028/28-1 DATED 29.06.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R5.	
7.	A COPY OF THE INSTRUCTIONS ISSUED VIA LETTER NO. 202/33-3 DATED 09.07.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R6.	
8.	A COPY OF LETTER NO. 243/33-3 DATED 09.07.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R7.	
9.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT BY THE FOREST GUARDS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R8.	

Bhanwar Pal Singh Jadon

FILED BY:

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNCIL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 11.10.2024

PLACE: NEW DELHI



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024



IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION- SUO MOTU
BASED ON NEWS ITEM TITLED "22 SAAL SE BAND COMPANY MEIN
KAAT DIYE 1 HAZAAR SE JYADA PED NOIDA MEIN VAN VIBHAG NE
JABT KIYA KATE PEDO SE BHARA TRUCK" APPEARING IN
NAVBHARAT TIMES DATED 11.06.2024

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENTS NO 1, 2 AND 4

1. That the present matter has been registered *suo motu* by the Hon'ble Tribunal on the basis of the news item titled "22 saal se band company mein kaat diye 1 hazaar se jyada ped Noida mein Van Vibhag ne jabt kiya kate pedo se bhara truck" appearing in Navbharat Times dated 11.06.2024.
2. That the matter relates to the illegal felling of more than a thousand trees in Greater Noida's DCM Company that has been shut for 22 years.
3. That on 10.06.2024, reliable sources provided information regarding illegal tree felling at the DCM Company, Greater Noida, Plot No. 02, Surajpur. Subsequently, the Range Forest Officer, Dadri took prompt action on the said matter upon the directions from the Divisional Forest



Officer, Gautam Buddh Nagar. The Range Forest Officer along with staff visited the site and conducted a thorough inspection.

4. That at the scene of the incident, an Eicher-409 truck having registration number UP14 HT0303 was loaded with neem, eucalyptus, and subabul trees, along with a tractor-trolley without a registration number, were found. Following which the drivers, Mr. Wasim Khan, S/o Mr. Rauf Khan, R/o Bawan Khedi, District Amroha and Mr. Mujahid Khan S/o Mr. Abrar Khan, R/o Bawan Khedi, District Amroha, were questioned. Through the questioning, it was revealed that they did not have a valid permit for tree cutting. As a result, the felling was deemed illegal.
5. That consequent to the inspection and the questioning of the drivers, the Range Forest Officer, Dadri registered H2 case against the drivers having case no. Case No. 16/2024-25 under Sections 4, 10, and 11 of the Tree Protection Act, 1976, and Sections 3 and 28 of the Uttar Pradesh Transport Rules, 1978. The Eicher-409 truck and tractor-trolley without a registration number was confiscated and taken into departmental custody.

A copy of the case registered having Case No. 16/2024-25 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R1**.
6. That during the investigation in the aforementioned H2 case, it was revealed that the Daewoo Motors, herein referred to as DCM Company by the Hon'ble Tribunal, has been acquired by the Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd.
7. Furthermore, notices were issued by the Forest Department against the accused, Wasim Khan S/o Rauf Khan R/o Bawan Khedi, District



Amroha, Mujahid Khan S/o Abrar Khan R/o Bawan Khedi, District Amroha and Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd., the landowner of the estate in question. Through the issued notices, the noticees were asked to be present before the department on 14.06.2024 and present their side of the case and their position in it.

A copy of notices issued against the accused is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R2**.

8. That on 25.06.2024, information was again received regarding illegal felling of trees at the premises of the Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd., which has now been acquired by Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd., Greater Noida. In response to the information received, the Range Forest Officer, Dadri, along with staff visited the site of the incident. Thereafter, the site was inspected immediately and it was confirmed by the R.F.O., Dadri, that the illegal felling of trees had taken place. Consequently, H2 Case No. 21/2024-25, dated 25.06.2024, was registered under the relevant provisions of the Tree Protection Act, 1976.

A copy of the case registered having Case No. 21/2024-25 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R3**.

9. Thus, for the above mentioned H2 cases, Cases No. 16/2024-25 and 21/2024-25, the Range Forest Officer, Dadri, was appointed as the ex-officio investigating officer via Letter No. 7133/2-1 dated 11.06.2024 and Letter No. 7365/2-1 dated 26.06.2024.



A copy of Letter No. 7133/2-1 dated 11.06.2024 and Letter No. 7365/2-1 dated 26.06.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4 (Colly)**.

10. However, despite legal actions by the department, the Divisional Office continued to receive reports of illegal tree felling at the Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd. company premises. In response, the Range Forest Officer, Dadri, submitted a report via Letter No. 1028/28-1 dated 29.06.2024 to DM, Gautam Budh Nagar.

A copy of letter No. 1028/28-1 dated 29.06.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R5**.

11. That based on the aforementioned report instructions were issued via Letter 202/33-3 dated 09.07.2024 of Divisional Forest Officer to the Range Forest Officer, Dadri and the same information was shared with the District Magistrate, Gautam Budhnagar, Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Assistant Commissioner of Police, Third Greater Noida, and the Regional Manager, UPSIDA, Greater Noida, to complete all formalities and seal the company premises. Thereafter, in compliance to the directions given by the Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar the gate number-1 of the company was sealed with all the formalities.

A copy of the instructions issued via Letter No. 202/33-3 dated 09.07.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R6**.

12. That subsequently through Letter No. 243/33-3 dated 09.07.2024, the information about company sealing was communicated to the District Magistrate, Gautam Budh Nagar. The copies for the same were



forwarded to the Chief Conservator of Forests, Western Zone, Meerut, and the Conservator of Forests, Meerut.

A copy of Letter No. 243/33-3 dated 09.07.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R7**.

13. That in compliance of letter no. 1012A/22-1 dated 18.06.2024 and letter no. 1029/22-1 dated 29.06.2024, an inspection was done by the Forest team. During the inspection it was found that illegal felling of total of 980 trees have been done at the Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd.

A copy of the inspection report by the Forest team is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R8**.

14. That the investigation in the above mentioned H2 cases is ongoing by the Range Forest Officer, Dadri.

The Present Affidavit is being filed for the kind consideration and adjudication of the original application



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024**



IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION- SUO MOTU
BASED ON NEWS ITEM TITLED "22 SAAL SE BAND COMPANY MEIN
KAAT DIYE 1 HAZAAR SE JYADA PED NOIDA MEIN VAN VIBHAG NE
JABT KIYA KATE PEDO SE BHARA TRUCK" APPEARING IN
NAVBHARAT TIMES DATED 11.06.2024

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT

I, Pramod Kumar, aged about 59 years, S/o Shri Padam Dhar Srivastava, R/o B1/ 701, Antriksh Nature, Sector 52, Noida, Uttar Pradesh, Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. That I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. I hereby affirm that I am the duly authorized representative of the Respondent No. 1, 2 and 4 and that I possess the legal authority to make this Affidavit on behalf of myself and the organization for which I am acting.



✓
DEPONENTVERIFICATION

Verified at Gautam Budh Nagar on this 11th day of October, 2024, that the contents of paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

✓
DEPONENT

ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC
11 OCT 2024

16/2024-25

ANNEXURE R1

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) गौतमबुद्ध नगर।

पृथक्करण आदि 1976

अन्य अपराधों/घातकों/100 प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 3051/1978/वी/एच/3/28

दिनांक 10/6/2024 अधिक्षेत्र (रेन्ज) दादरी

- 1. नाम पिता का नाम और निवास स्थान | वसीम खान मे० रफ़ूख़ खान सि० धावत खोड़ी जिला अमरोहा
- 2. साक्षी का नाम | श्री ए.ए.ए. अहमद खान मे० अथरार खान सि० धावत खोड़ी जिला-अमरोहा
- 3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक | 10/6/2024 की Daewoo कंपनी खुरजपुर में 3 नीम 2 भूकें व 97 सुवर्ण के वृक्षों का कटाव
- 4. मूल्य
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन | विभागीय कार्यालयी

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख आज दिनांक 10/6/2024 की समय करीब 4 बजे शिकायत के आधार पर मैं अपने हमराह श्री राहुल शारदाज वन रक्षक के साथ Daewoo कंपनी भासाहा कंपनी खुरजपुर में नौएटा पहुँचा तो देखा कि उक्त कंपनी में नीम, भूकें व सुवर्ण के पेड़ों को काटकर एक आयतार 409 मीटर लंबे UP14HT 0303 में लोड कर ले जा रहे थे मोटी 4500 डेक्टर-टाली (बिना नम्बर) भी मिला, उक्त पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी गयी उनके पास कोई परमिशन नहीं थी उपरोक्त आयतार 409 मीटर के डेक्टर-टाली को अपनी मजदूरी के खुरजपुर पोथखाला पर खरा कर दिया है- आयतार 409 मीटर के वनभूकें 60 कुन्तल लकड़ी लदी दुभीदी, मध्य पर आश्रिमुख द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर वपन दिया (मेरे हाथ पकड़े-कानूनवारी बनायी गयी) उक्त आश्रिमुख द्वारा किया गया कृत्य पृथक्करण आदि 1976 की धारा 4/10 व 3050 अधिवहन विनियमवली 1978 की धारा 3/28 के अन्तर्गत दोषीय अपराध है।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट आधारित लेख में उचित है।

सहायक वन अधिकारी दादरी गौतमबुद्ध नगर
दिनांक 16/6/24-1 दिनांक 10/6/2024

महेश्वर
Pun
(21/3/2024)
व.ई.

30 वना नएदेव प्रतमदेवनाथ वन विभाग मेरठ

Amal

ANNEXURE R2

वन विभाग, उत्तर प्रदेश



वनाम

वसीम खान पुत्र रऊफ खान
निवासी गांव बावल खेडी
जिला अमरोहा

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 10.06.2024 को डेवू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रूप से नीम, यूकेलिप्टस व सूयदूल के पेड़ों को काट कर दुलान उनका दुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या 16/2024-25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई-1, सेक्टर-1 नौएडा, में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

शनि गौतम
वन दरोगा

वसीम

वन विभाग, उत्तर प्रदेश



बनाम

मुजाहिद खान पुत्र अब्दुल खान
निवासी गांव मावल खेडी
जिला अमरोहा

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 10.06.2024 को डेबू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रूप से नीम, यूकेलिप्टस व सूयबूल के पेड़ों को काट कर दुलान उनका दुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या 16/2024-25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई-1, सैक्टर-1 नौएडा, में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Shaw
शनि गौतम
वन दरोगा

मुजाहिद

वन विभाग, उत्तर प्रदेश



बनाम

शकुन्तामल लेण्ड कापट प्रा०लि०
सूरजापुर ग्रेटर नौएडा
जिला गौतमबुद्धनगर

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 10.06.2024 को डेयू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रूप से नीम, यूकेलिप्टस व सूतवृक्ष के प्रजातों को काट कर ढुलान उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या 16/2024-25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई-1, सैक्टर-1 नौएडा, में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं तो आपके विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Shani
शनि गौतम
वन दरोगा

Deepak Gupta

21/2024-25

वन आकार पत्र सं० एच-2

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) गौतमबुद्ध नगर।

वृक्ष संरक्षण अधिनियम

अन्य अपराध 1976 की धारा 4/10, 11 प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 4/10, 11) दिनांक 25/6/2024 अधिक्षेत्र (रेन्ज) दादरी

- 1. नाम पिता का नाम और निवास स्थान | शकुन्तलम लैण्ड क्राफ्ट प्राब्लिम सुरजपुर ग्रेटर नोएडा
- 2. साक्षी का नाम | श्री शकुल शरहाज व० 20
- 3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक | डेबू कम्पनी में पेड़ों का अवैध कटव
- 4. मूल्य
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन | विशिष्ट कार्यवाही
- 6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय

आज दिनांक 25/6/2024 को

सूचना प्राप्त हुई कि डेबू कम्पनी निकट सामादा मोर्टर्स सुरजपुर ग्रेटर नोएडा में अवैध वृक्षों का कटव हो रहा है प्राप्त सूचना के आधार पर मैं अपने हमराह श्री शकुल शरहाज व० 20 के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि वहां 20 से 30 पेड़ सुवर्ण के कटे पाये गये, समस्त उकाळे मौके पर पत्रा आ पहुँचा वरिष्ठ पर पता चला कि अतः पेड़ कालम नं० 1 के दर्जे अधिक्षेत्र द्वारा कटे गये हैं। उक्त कृत्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10, 11 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत पीठ की सेवा में सूचना अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित है।

भवदीय
 राम अंतोर
 व० 20

कैलश जी (कॉन्स्टिबल) प्र० व० 20
 सूचना अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित है।

5000

1400

12888

ANNEXURE R4 (COLLY)

60

4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 7133 / 2-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 11-06-2024।

आदेश

दादरी रेंज के अन्तर्गत दिनांक 10-06-2024 को डेवू मोटर्स इण्डिया लि० कम्पनी परिसर में बिना अनुमति के वृक्ष पातन किये जाने पर कार्यवाही करते हुए वन प्रसूचना संख्या 16/2024-25 दिनांक 10-06-2024 निर्गत किया गया।

उक्त वन अपराध केस की जाँच हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को पदेन जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जाँच अधिकारी फोरेस्ट मैनुअल के नियम 273(सी) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जाँच पूर्ण कर जाँच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध करायेगें।

संलग्नक-एच-2 केस की प्रति।

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

61 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 7365 /2-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 26-06-2024।

(25)

आदेश

दादरी रेंज के अन्तर्गत दिनांक 25-06-2024 को डेवू मोटर्स इण्डिया लि० कम्पनी परिसर में बिना अनुमति के वृक्ष पातन किये जाने पर कार्यवाही करते हुए वन प्रसूचना संख्या 21/2024-25 दिनांक 25-06-2024 निर्गत किया गया।

उक्त वन अपराध केस की जाँच हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को पदेन जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जाँच अधिकारी फोरेस्ट मैनुअल के नियम 273(सी) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जाँच पूर्ण कर जाँच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध करायेगें।

संलग्नक-एच-2 केस की प्रति।

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / दिनांक

प्रेषित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी ई-1 सैक्टर-1 नौएडा
 पत्रांक 1028/28-1 दिनांक 29.06.2024
 सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
 वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर

विषय: डेवू मोटर्स इण्डिया लि० कम्पनी (अधिकृत शकुन्तमल लैण्ड काफ्ट प्रा०लि०) सूरजपुर
 ग्रेटर नौएडा की जमीन पर अवैध रूप से वृक्ष काटे जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 7224/33-3 दिनांक 18.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 10.06.2024 को डेवू कम्पनी में हरे वृक्ष काटे गये जिसका एच-टू केस संख्या 16/2024-25 पंजीकृत कर विभागीय कार्यवाही की गयी। मौके से एक आयशर 409 गाड़ी यू०पी० 14 एच टी 0303 व एक ट्रैक्टर व ट्राली बिना नम्बर का सीज किया गया। पुनः दिनांक 25.06.2024 को भी डेवू कम्पनी में हरे वृक्ष काटे जाने की सूचना प्राप्त हुयी पुनः जिसका एच-टू केस संख्या 21/2024-25 पंजीकृत कर विभागीय कार्यवाही की गयी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों एवं शकुन्तमल लैण्ड काफ्ट प्रा०लि० (डेवू कम्पनी को अधिग्रहित किया गया) सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर को नोटिस भी जारी किये गये हैं।

अतः उपरोक्त प्रकरण में वृक्षों के अवैध कटान पर अंकुश लगाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को दिशा-निर्देश देने की कृपा करें।

भवदीय

Anand
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 दादरी

PA / काटे के टै
 आ-सि-एन
 29/06/2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई-1सै0 1 नोएडा।
पत्रांक /33-3 दिनांक गौतमबुद्धनगर 09-07-2024।

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

विषय:- डेबू कम्पनी में अवैध कटान के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि डेबू कम्पनी में विगत कुछ समय पूर्व अवैध कटान की कार्यवाही हुयी थी, जिसके क्रम रेंज एच-2 केस संख्या 16/24-25 दिनांक 10-06-2024 दादरी रेंज से जारी किया गया। उक्त कटान के बाद भी निरन्तर कटान किये जाने का प्रयास करने की सूचना प्राप्त हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अवैध कटान की सम्भावना के दृष्टिगत तत्काल डेबू कम्पनी के वृक्षों के परिसर को सील करने की कार्यवाही पूरी औपचारिकता पूर्ण करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 202 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्धनगर
- 2:- सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
- 3:- रीजनल मैनेजर, यू0पी0सीडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर ।
पत्रांक 243/33-3 गौतमबुद्धनगर दिनांक 09-07-2024।
सेवा मे,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:- डेबू मोटर्स इण्डिया लि० कम्पनी परिसर अवैध कटान के संबंध में।
महोदय

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि वर्ष 2003 से बन्द पडी डेबू मोटर्स इण्डिया लि० कम्पनी की भूमि पर विगत कुछ समय से कम्पनी परिसर में स्थित वृक्षो के अवैध कटान की शिकायते प्राप्त हो रही थी। जिसके क्रम में इस वन प्रभाग में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को तत्काल स्थलीय जाँच कर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी द्वारा विभागीय कार्यवाही सम्पादित करते हुए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत वन अपराध संख्या 16/2024-25 दिनांक 10-06-2024 द्वारा इजरा कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 25-06-2024 को जाँच उपरांत वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वन अपराध संख्या 21/2024-25 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उक्त कार्यवाही के उपरांत भी पुनः पर्यावरणविदो तथा समाचार पत्रो के माध्यम से शिकायते प्राप्त होने पर वन विभाग, राजस्व विभाग यू०पी०सीडा एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त जाँच करके रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी। कम्पनी परिसर में अवैध पातन पाया गया। अतः तत्कम आपके अनुमोदन के उपरांत गेट नं०-1 डेबू कम्पनी जिसकी जी०पी०एस० रिडिंग N 28.524413 E 77.46417 है, को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए मोहर बन्द कर चालू गेट नं०-1 को सील कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर ।

पत्रांक 243 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ०प्र० मेरठ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

संयुक्त रिपोर्ट

गण दिनांक 09/07/24 को समय-2:40 बजे पुत्रागीच वनाधिकारी
 गौतम बुद्ध नगर के पत्र संख्या 202/33-3 दिनांक 09/07/24
 के क्रम में डेबू कम्पनी की उपजिलाधिकारी सदर गौतम
 संघमठ पुलिस आशुला तृतीय ग्रेड नो 2 एवं शीजनल मैने-
 जर UP सीडा ग्रेड नो 2 के अधिकारियों के साथ उक्त कम्पनी
 को सील करने के निर्देश प्राप्त हुए इसके क्रम में
 तत्काल रूप से क्षेत्रीय वनाधिकारी दायरी अपने वना-
 के साथ गेट नं-1 डेबू कम्पनी जिसकी UPS सीडिंग
 La- 28.52443, Lo- 77.46417 है। मौके पर पहुंचे। उक्त
 गेट को निम्न अधिकारी एवं कर्मचारियों के समक्ष सभ्य
 औपचारिकता पूर्ण करते हुए मोटर बन्द कर गेट नं-1 को सील
 कर लिया गया।

UPSIDC, Police, Revenue & Forest Dept


नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1 Anamika	R.FO	Anamika
2 NAMKRESHNA	NA	[Signature]
3 पशान्त कुमार	(कॉन्स्ट)	[Signature]
4 चौराज सिंह	A.M.	[Signature]
5 अभिषेक Ch. Eng.		Abhishek
6 उमेश खत्री (प्राथमिक) सहायक	सहायक	Umesh
7 Anand (कॉन्स्ट)	कॉन्स्टेबल	Anand
8 राजेश	कॉन्स्टेबल	Rajesh
9 राम अशोक	कॉन्स्टेबल	Ram
10 अमित कुमार	कॉन्स्टेबल	Amit
11 राहुल मारवा	(कॉन्स्टेबल)	Rahul
12 आशिष शर्मा	कॉन्स्टेबल	Ashish
13 विजय शर्मा	कॉन्स्टेबल	Vijay

सील की फाईल नामवली

दिनांक 09/02/24 को समय 2:40 बजे प्रशासकीय तलाशी में
 नगर के पत्र सं. 202/33-3 दिनांक 09/02/24 के क्रम में उक्त कंपनी की
 निम्नी G.P.S सीडिंग L. 28° 52' 14.13 N - 77° 46. पाठ है उक्त जगह
 निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी के समस्त मोहर बन्द सील किया गया है

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1 Anamika	R.P.O	family
2 KAMKRESHNA	NT.	R
3 पुरान्त अम्मा	(विवे)	Surf
4 Abhishek Chaudhary (Eng.)		Abhishek
5 उपेन्द्र खत्री	उपियत कर्मचारी	Suber
6 चारुण शिखर	पुस्तकपाल	D
7 जयशंकर (श्री. 10)	AM U.P.S.A	
8 राजदीव एम्मा	विजयम्	Ch Arun D
9 रामशंकर	कर्मचारी	Per
10 अमित कुमार मान-द वन दरोगा		AKB
11 शकुन मौरहाज	(व. 24)	Prakul
12 साजिद अली	वरु शू	Sajid Ali

मोहर



सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी

दादरी

विषय: शकुन्तलम लेण्डकाफ्ट प्रा0 लि0 द्वारा अधिग्रहित डेबू कम्पनी, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में हुये वृक्षों के अवैध कटान में जारी एच-2 केस संख्या 16/2024-25 एवं एच-2 केस संख्या 21/2024-25 की जांच में पाये गये वृक्षों के टूटों की गणना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 1012ए/22-1 दिनांक 18.06.2024 एवं पत्रांक 1029/22-1 दिनांक 29.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में शकुन्तलम लेण्डकाफ्ट प्रा0 लि0 द्वारा अधिग्रहित डेबू कम्पनी, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में हुये वृक्षों के अवैध कटान में जारी एच-2 केस संख्या 16/2024-25 एवं एच-2 केस संख्या 21/2024-25 की जांच में पाये गये वृक्षों के टूटों की गणना मेरे, श्री राहुल भारद्वाज (वन रक्षक) एवं श्री साजिद अली (वन रक्षक) द्वारा की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.0 सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों के टूटों की संख्या
1	सूबबूल	0-1	184
2	सूबबूल	1-2	358
3	सूबबूल	2-3	262
4	सूबबूल	3-4	138
5	सूबबूल	4-5	33
6	नीम	2-3	03
7	यूकेलिप्टिस	20-25	02
योग			980

अतः वृक्षों के टूटों की गणना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rahul

राहुल भारद्वाज
वन रक्षक

Sajid Ali

साजिद अली
वन रक्षक

भवदीय

Amrit Kumar Anand

अमित कुमार आनन्द
वन दरोगा